

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4202

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

प्रत्याशित विद्युत भार

4202. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 0'सौभाग्य' योजना के पूरा होने के बाद बिजली की अत्यधिक मांग की समयावधि के दौरान प्रत्याशित विद्युत भार का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या प्रत्याशित क्षमता भार की पूर्ति के लिए ग्रिड क्षमता पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विद्युत उत्पादन और ग्रिड-क्षमता तदनुसार बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देश में विद्युत की मांग का आकलन करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों में विद्युत पावर सर्वे (ईपीएस) करवाता है। वर्ष 2018-19 से 2026-27 के लिए, 19वें ईपीएस (जनवरी, 2017 में प्रकाशित) द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य-वार मांग अनुबंध में दी गई है। सौभाग्य योजना के कारण मांग में वृद्धि के प्रभाव को भी इस आकलन में माना गया है।

(ख) तथा (ग) : मार्च, 2018 में प्रकाशित, राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत विद्युत मांग को पूरा करने के लिए, संभावित संस्थापित क्षमता 4,79,418 मेगावाट तथा 2026-27 में 6,19,066 मेगावाट है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए, विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- (i) देश में ताप एवं जल विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं;
- (ii) 1,700 मेगावाट क्षमता की न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाएं आयोजना के अग्रिम चरण में हैं; और

(iii) सरकार का सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत सहित नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य है; जिसमें से 86,759 मेगावाट क्षमता संस्थापित की जा चुकी है और 33,720 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (खण्ड 11: पारेषण) के भाग के रूप में वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए देश में अतिरिक्त पारेषण व्यवस्था की आवश्यकता का आकलन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (खण्ड 11: पारेषण) के अनुसार, लगभग 1,10,000 सीकेएम की पारेषण लाइनों तथा उपकेन्द्रों (220 केवी तथा अधिक वोल्टेज स्तर) में वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान लगभग 3,83,000 एमवीए जोड़े जाने की आवश्यकता होगी। इसमें से, अप्रैल 2017 से फरवरी 2020 के दौरान 55,782 सीकेएम तथा 2,21,658 एमवीए को विद्युत ग्रिड में जोड़ा गया है।

इस आकलित उत्पादन संस्थापित क्षमता तथा अतिरिक्त पारेषण व्यवस्था के साथ, 19वें विद्युत शक्ति सर्वे (ईपीएस) के अनुसार प्रस्तुत की गई विद्युत मांग को पूर्ण रूप से पूरा किए जाने की संभावना है।

लोकसभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 4202 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2026-27 के लिए 19वें ईपीएस (जनवरी, 2017 में प्रकाशित) में यथा प्रक्षेपित राज्य-वार मांग

19वें इलैक्ट्रिक पॉवर सर्वे का पूर्वानुमान
अखिल भारतीय एवं राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार
इलैक्ट्रिक ऊर्जा की आवश्यकता (एमयू) (एक्स बस)
(केवल यूटिलिटियां)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
दिल्ली	34201	35380	36573	37778	38997	40224	41557	42904	44267
हरियाणा	54062	57083	60336	63618	66747	70333	75110	80239	85743
हिमाचल प्रदेश	10523	10949	11394	11866	12360	12876	13417	13983	14576
जम्मू और कश्मीर	16283	17109	18017	18819	19963	21161	22433	23795	25254
पंजाब	61076	64730	68502	72392	76826	81369	86027	90789	95658
राजस्थान	79485	83168	87051	91216	95782	101200	108808	117219	126290
उत्तर प्रदेश	123951	132476	141426	150797	159412	167731	176477	185674	195323
उत्तराखंड	15880	17007	18181	19406	20687	22029	23438	24920	26480
चंडीगढ़	2070	2145	2223	2304	2388	2475	2566	2659	2756
उत्तरी क्षेत्र	397530	420047	443704	468196	493162	519399	549833	582182	616345
गोवा	4802	5068	5332	5593	5855	6120	6389	6660	6932
गुजरात	113187	120693	128368	136159	144186	152475	160989	169732	178693
छत्तीसगढ़	31383	33463	35559	37840	40155	42661	45315	48146	51088
मध्य प्रदेश	81732	88022	94301	99871	104772	109727	114765	120027	125394
महाराष्ट्र	161926	171313	180338	189983	200288	211307	223171	235949	249628
दादर व नगर हवेली	7653	8210	8775	9343	9920	10513	11120	11741	12373
दमन और दीव	2327	2449	2577	2712	2855	3006	3166	3337	3517
पश्चिमी क्षेत्र	403010	429217	455250	481501	508032	535810	564915	595591	627624
आंध्र प्रदेश	63290	68034	73090	78540	84429	90794	97181	104072	111485
तेलंगाना	67680	75164	80700	84603	88130	91836	95776	99945	104345
कर्नाटक	73636	77532	81622	85932	90381	95042	99916	105017	110368
केरल	27184	28535	29924	31371	32861	34393	35964	37582	39357
तमिलनाडु	117505	123724	130189	136643	144145	152357	161349	170822	180989
पुडुचेरी	3254	3387	3521	3664	3809	3959	4114	4279	4448
दक्षिणी क्षेत्र	352549	376376	399047	420753	443754	468380	494301	521717	550992
बिहार	28637	31017	35152	38416	41208	43926	46735	50717	54363
झारखंड	25880	27488	29052	30649	32209	33850	35544	37354	39252
ओडिशा	29124	30302	31224	32164	33172	34163	35219	36326	37453
पश्चिम बंगाल	61485	63979	66634	69361	72222	75264	78463	81915	85590
सिक्किम	548	577	607	638	669	702	737	773	810
पूर्वी क्षेत्र	145674	153363	162669	171228	179480	187906	196698	207085	217468
असम	10831	11894	12959	14051	15164	16355	17631	18998	20462
मणिपुर	1592	1769	1925	2103	2300	2515	2760	3020	3300
मेघालय	2242	2378	2470	2566	2667	2771	2900	3036	3177
नगालैंड	930	992	1059	1129	1200	1275	1356	1441	1524
त्रिपुरा	1394	1456	1525	1595	1661	1731	1796	1866	1930
अरुणाचल प्रदेश	1089	1210	1345	1498	1669	1863	2081	2326	2601
मिजोरम	681	737	799	866	937	1013	1095	1181	1307
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	18758	20437	22083	23809	25598	27523	29619	31869	34301
अंडमान और निकोबार	385	414	446	475	504	535	566	598	632
लक्षद्वीप	55	57	59	62	64	66	68	70	73
अखिल भारतीय	1317962	1399913	1483257	1566023	1650594	1739618	1836001	1939111	2047434

19वें इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वे का पूर्वानुमान
अखिल भारतीय एवं राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार
व्यस्ततम विद्युत मांग (मेगावाट) (एक्स बस)
(केवल यूटिलिटियां)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
दिल्ली	6764	6997	7233	7471	7712	7954	8217	8482	8751
हरियाणा	10397	10975	11596	12222	12819	13501	14415	15398	16451
हिमाचल प्रदेश	1683	1751	1822	1898	1977	2059	2146	2236	2331
जम्मू और कश्मीर	2565	2733	2920	3095	3332	3585	3859	4157	4482
पंजाब	12914	13559	14216	14886	15654	16431	17217	18009	18809
राजस्थान	12540	13133	13761	14435	15176	16048	17282	18651	20131
उत्तर प्रदेश	18821	20334	21948	23664	25331	26658	28053	29522	31064
उत्तराखंड	2536	2739	2953	3180	3420	3675	3945	4232	4538
चंडीगढ़	441	457	474	491	509	527	546	566	587
उत्तरी क्षेत्र	62279	65919	69766	73770	77929	82017	86776	91835	97182
गोवा	721	767	813	858	904	951	999	1047	1096
गुजरात	17734	18937	20172	21429	22730	24079	25471	26908	28387
छत्तीसगढ़	5080	5442	5809	6208	6613	7050	7513	8006	8518
मध्य प्रदेश	12829	13816	14802	15676	16445	17223	18014	18840	19682
महाराष्ट्र	23953	25544	27148	28866	30725	32717	34911	37269	39828
दादर व नगर हवेली	1026	1112	1201	1291	1385	1483	1584	1689	1798
दमन और दीव	366	385	405	426	449	473	498	525	553
पश्चिमी क्षेत्र	58654	62728	66847	71020	75275	79748	84502	89528	94825
आंध्र प्रदेश	9544	10259	11021	11843	12731	13690	14656	15698	16820
तेलंगाना	11262	12712	13757	14499	15338	16086	16885	17738	18653
कर्नाटक	12169	12834	13534	14271	15033	15834	16674	17554	18481
केरल	4561	4788	5021	5263	5513	5770	6034	6305	6603
तमिलनाडु	17230	18213	19240	20273	21471	22784	24225	25750	27392
पुडुचेरी	518	539	561	583	606	630	655	681	708
दक्षिणी क्षेत्र	52171	56007	59581	62975	66710	70579	74666	79002	83652
बिहार	4904	5308	6016	6576	7054	7521	8003	8681	9308
झारखंड	4378	4656	4915	5193	5450	5733	6013	6326	6626
ओडिशा	4816	5016	5176	5340	5517	5691	5878	6073	6273
पश्चिम बंगाल	11267	11724	12191	12688	13318	13873	14435	15065	15680
सिक्किम	146	154	162	170	179	187	197	206	216
पूर्वी क्षेत्र	23868	25130	26633	28046	29500	30895	32319	34031	35674
असम	2091	2297	2502	2713	2979	3271	3590	3868	4166
मणिपुर	303	339	372	410	453	499	553	611	667
मेघालय	427	453	470	488	508	528	552	578	605
नगालैंड	191	204	219	234	250	266	284	303	322
त्रिपुरा	333	351	371	391	411	432	452	474	495
अरुणाचल प्रदेश	202	224	249	278	309	345	386	431	482
मिजोरम	137	148	159	171	185	199	213	229	252
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3537	3856	4170	4499	4891	5319	5790	6235	6710
अंडमान और निकोबार	78	84	91	97	103	109	115	122	129
लक्षद्वीप	10	11	11	11	12	12	13	13	13
अखिल भारतीय	188360	200696	213244	225751	238899	252288	266844	282418	298774
